जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

कार्यवाही विवरण

भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 118 वीं बैठक दिनांक 23–24.07.2008 को आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, का कार्यवाही विवरण एजेण्डा संख्या 2 से 15 एवं अतिरिक्त एजेण्डा संख्या 1 व 8 वरिष्ठ नगर नियोजक बीपीसी, एजेण्डा संख्या 1 व 16 से 49 व अतिरिक्त एजेण्डा 10 से 12 वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट), एवं अतिरिक्त एजेण्डा संख्या 9 उपायुक्त जोन–11, द्वारा तैयार किया गया है जिसका संकलित कार्यवाही विवरण सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया।

1. श्री मोहन लाल गुप्ता, माननीय विधायक।
2. श्री नवरतन राजोरिया, माननीय विधायक।
3. रामनिवास मीणा, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
4. श्री एस. सी. महागांवकर, निदेशक (आयोजना) जविप्रा, जयपुर।
5. श्री बी. के. दोसी, अति. आयुक्त (एलपीसी) जविप्रा, जयपुर।
6. श्री एच. एस भारद्वाज, अति. आयुक्त (पश्चिम) जविप्रा, जयपुर।
7. श्री एन. के. शर्मा, अति. आयुक्त (पूर्व.) जविप्रा, जयपुर।
8. श्री महेन्द्र सोनी अति आयुक्त (भूमि), जविप्रा, जयपुर।
9. श्री मोहन टावरी, वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट), जविप्रा, जयपुर।

बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित थे–

1. श्रीमति लदंग शर्मा वरिष्ठ नगर नियोजक (बीपीसी.) जविप्रा, जयपुर।
2. श्री पी. अरविन्द, वरिष्ठ नगर नियोजक (एम.पी) जविप्रा, जयपुर।
3. श्रीमती साधना शर्मा, उप नगर नियोजक (प्रोजेक्ट) जविप्रा, जयपुर।
4. श्री राजेन्द्र सिंह राठौड उपायुक्त जोन–1 जविप्रा जयपुर।
5. श्री शमशुद्दीन खान, उपायुक्त जोन–4, जविप्रा, जयपुर।
6. श्री वासुदेव शर्मा, उपायुक्त जोन–6, जविप्रा, जयपुर।
7. श्री एस. मित्रा, उपायुक्त जोन–7, जविप्रा, जयपुर।
8. श्री राजपाल सिंह यादव, उपायुक्त जोन–8, जविप्रा, जयपुर।
9. श्री बी.डी कुमावत, उपायुक्त जोन–9, जविप्रा, जयपुर।
10. श्री देवाराम सैनी, उपायुक्त जोन–10, जविप्रा, जयपुर।
11. श्री आकाश तोमर, उपायुक्त जोन–11, जविप्रा, जयपुर।
12. श्री सुखवीर सैनी, उपायुक्त जोन–12, जविप्रा, जयपुर।
13. श्री केशव चन्द शर्मा, तहसीलदार, जोन–6, जविप्रा, जयपुर।
14. श्री प्रेमशंकर, उप नगर नियोजक (बीपीसी–स्कीमस्) जविप्रा, जयपुर।
15. श्री जगदीश नारायण वर्मा, उप नगर नियोजक, जोन–6, जविप्रा, जयपुर।
16. श्री शेराराम, उप नगर नियोजक, जोन–7, जविप्रा, जयपुर।
17. श्री गोपाल सैनी, उप नगर नियोजक, जोन–8, जविप्रा, जयपुर।
18. श्री जी.एल जालवाल, सहायक नगर नियोजक, जोन–5, जविप्रा जयपुर।
19. श्री नारायण लाल शर्मा, सहायक नगर नियोजक, जोन–9, जविप्रा, जयपुर।
20. श्री मोहन लाल शर्मा, सहायक नगर नियोजक, जोन–12, जविप्रा जयपुर।
21. श्रीमति रिंकु बंसल, सहायक नगर नियोजक, जोन–10, जविप्रा जयपुर।
22. श्रीमति उषा जैन, जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।

एजेण्डा विवरणः–

एजेण्डा संख्याः–1

विषयः–बीपीसी (ले आउट प्लान) की 117 वीं बैठक दिनांक 23.07.08 को सम्पन्न हुई के कार्यवाही विवरण की पुष्ठि।

कार्यवाही विवरण की पुष्ठि की गई।

एजेण्डा संख्याः–2 (जोन–4)

विषयः– मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति लि0 की योजना नन्द विहार के अनुमोदन के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि इस योजना का सर्वे करवाया जावे जिससे मौके पर निर्मित निर्माण की स्थिति दर्शायी जावे तथा इस योजना के आस–पास के क्षेत्र को मिलाते हुए एकजाही प्लान आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।

एजेण्डा संख्याः–3 (जोन–5)

विषयः– न्यू पिंक सिटी गृह निर्माण सहकारी समिति लि0 की योजना कृष्णा विहार विस्तार के भूखण्ड संख्या 62 को सुविधा क्षेत्र से मुक्त करने के संबंध में।

समिति द्वारा सुविधा क्षेत्र के प्रकरणों पर विस्तृत विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार के सुविधा क्षेत्र के संदर्भ में पूर्व में जारी आदेशों अध्याधीन एवं प्रशासनिक बिन्दुओं की जांच जोन स्तर पर की जावे यदि प्रकरण नियमानुकूल पाया जाता है तो पत्रावली पर आयुक्त महोदय की स्वीकृति प्राप्त कर राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे। राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर प्रकरणों का निष्पादन माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18.01.2008 एवं 30.05.2008 में दिये गये निर्णय के अनुरूप विधिक प्रकिया अपनाते हुए किया जावे।

एजेण्डा संख्याः–4(जोन–8)

विषयः– सेक्टर 51, 52, 53, में रामसिंहपुरा उर्फ रामपुरा में सेक्टर रोड के आंशिक संशोधन के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया। विचार विमर्श पश्चात् एजेण्डा के साथ संलग्न स्केच के अनुसार सेक्टर प्लान में संशोधन करने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्याः–5(जोन–8)

विषयः– जय चामुण्डा गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना श्याम विहार के भूखण्ड संख्या 56 से 64 तक का आवासीय प्रयोजनार्थ पुनर्गठन के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया विचार विमर्श के दौरान उपायुक्त जोन ने समिति के सदस्यों को अवगत कराया कि एक ही परिवार के तीन सदस्यों को यह भूखण्ड आवंटित है तथा इसका पुनर्गठन चाहा है। इस पर समिति ने विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया कि उपायुक्त जोन पहले यह जांच करें कि सहकारी समिति एक सदस्य को एक से ज्यादा भूखण्ड आवंटित कर सकती है या नहीं? तथा किस उपयोग हेतु भूखण्ड का पुनर्गठन करवाना चाहते हैं इसकी जांच के पश्चात् प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।

एजेण्डा संख्याः–6(जोन–8)

विषयः– गोपालपुरा गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना कुमुद विहार आवासीय योजना ग्राम बम्बाला तहसील सांगानेर टोंक रोड जयपुर का व्यावसायिक से आवासीय भू–उपयोग उपान्तरण के संबंध में।

प्रकरण के समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। उपायुक्त जोन ने समिति के सदस्यों को अवगत कराया कि राज. आवासन मण्डल ने पूर्व में एनओसी दी गई थी किन्तु यह एनओसी राज. आवासन मण्डल ने वापस ले ली है। माननीय विधानसभा सदस्य श्री मोहन लाल जी ने कहा कि वह राज. आवासन मण्डल द्वारा एनओसी वापस लिए जाने के संबंध में राज. आवासन मण्डल से जानकारी प्राप्त करेंगे, तत्पश्चात् प्रकरण को आगानी बैठक में विचार किया जावेगा।

एजेण्डा संख्याः–7(जोन–9)

विषयः– निजी खातेदार की योजना शिव नगर विस्तार भूखण्ड संख्या 62 से 66 के पुनर्गठन बाबत्।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया। विचार विमर्श पश्चात् निम्न पैरामीटर्स के अनुसार पुनर्गठन करने का निर्णय लिया गया।

सैटबैक 60'–0" सडक पर	9.0 मीटर
सैटबैक 40'–0" सडक पर	4.5 मीटर स्कीम के अनुसार
सैटबैक साईड–1	4.5 मीटर
सैटबैक साईड–2	4.5 मीटर
एफएआर	1.2
ऊँचाई	15मीटर(12मीटर चौड़ी सडक के अनुसार)

अन्य पैरामीटर्स भवन विनियम 2000 के अनुसार होंगे।

एजेण्डा संख्याः–8(जोन–9)

विषयः– मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना मायापुरी के भूखण्ड संख्या 64 को सुविधा क्षेत्र से मुक्त किये जाने बाबत्।

समिति द्वारा सुविधा क्षेत्र के प्रकरणों पर विस्तृत विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार के सुविधा क्षेत्र के संदर्भ में पूर्व में जारी आदेशों अध्याधीन एवं प्रशासनिक बिन्दुओं की जांच जोन स्तर पर की जावे यदि प्रकरण नियमानुकूल पाया जाता है तो पत्रावली पर आयुक्त महोदय की स्वीकृति प्राप्त कर राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे। राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर प्रकरणों का निष्पादन माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18.01.2008 एवं 30.05.2008 में दिये गये निर्णय के अनुरूप विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए किया जावे।

एजेण्डा संख्याः–9(जोन–11)

विषयः– ग्राम नेवटा व रामजीपुरा बास नेवटा तहसील सांगानेर में निजी विकासकर्ता निजी खातेदार द्वारा प्रस्तावित आवासीय योजना बालाजी एन्कलेव के मानचित्र अनुमोदन बाबत्।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया। विचार विमर्श के दौरान यह तथ्य आया कि भू–उपयोग की पूर्व कार्यकाही पूरी नहीं हुई है इसलिए योजना मानचित्रच स्वीकृत किए जा सकते हैं या नहीं? इस पर उपायुक्त ने समिति के सदस्यों को अवगत कराया कि स्वीकृत योजना मानचित्र जारी तभी किया जाता है जब भू–उपयोग उपान्तरण की धारा 25(1) की कार्यवाही पूर्ण हो जाती है। योजना अनुमोदन एवं भू–उपयोग उपान्तरण की कार्यवाही समानान्तर चलती है। समिति के सदस्यों ने विचार विमर्श कर निर्णय लिया कि पूर्व की बीपीसी की बैठक दिनांक 22.06.2007 में भूलवश भूखण्ड संख्या 216 से 229, 247 से 259, 282 से 289, 290 से 294, 386 से 401, 402 से 405, 383 से 385, 1058 से 1092 से 1094 कुल 63 खसरा बाउण्ड्री से बाहर होने या सडक उपलब्ध न होने के कारण अस्वीकृत किए गये थे। जोन की रिपोर्ट के अनुसार यह भूखण्ड खसरा बाउण्ड्री के अन्दर होने व सडक सम्पर्क मिलने के कारण इन भूखण्डों को स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

योजना मानचित्र भू–उपयोग उपान्तरण की पूर्ण कार्यवाही होने के पश्चात् ही जारी किया जावे।

एजेण्डा संख्याः– 10(जोन–11)

विषयः– सहकारी समिति की योजनाओं की रूरल बैल्ट की भूमि को आवासीय में भू–उपयोग उपान्तरण के संबंध मे।

प्रकरण को समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया। विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया कि उपायुक्त जोन इस पत्रावलियों की जांच करें कि यह योजनाएं वर्ष 1999 के पूर्व की है या नहीं? योजना वर्ष 1999 से पूर्व की होने की स्थिति में भू–उपयोग उपान्तरण से संदर्भित प्रकरणों को आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।

एजेण्डा संख्याः–11(जोन–11)

विषयः– गृह निमार्ण सहकारी समिति की आवासीय योजना की धारा 25(2) एवं 25(1) के संबंध में अनुमोदन बाबत्।

प्रकरण को समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया। विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया कि उपायुक्त जोन इस पत्रावलियों की जांच करें कि यह योजनाएं वर्ष 1999 के पूर्व की है या नहीं? योजना वर्ष 1999 से पूर्व की होने की स्थिति में भू–उपयोग उपान्तरण से संदर्भित प्रकरणों को आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।

एजेण्डा संख्याः–12

विषयः– सेक्टर 58 के अनुमोदन के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। सर्व में एच.टी. लाईन कितने के.वी. की है, का उल्लेख नहीं है। इसलिए जोन द्वारा सर्वे करवाकर उसकी रिपोर्ट ली जावे तथा विचार विमर्श पश्चात् ड्राफ्ट सेक्टर प्लान को स्वीकृत कर आम जनता से आपत्ति/सुझाव मांगे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्याः–13

विषयः– सेक्टर 59 के अनुमोदन के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। सर्व में एच.टी. लाईन कितने के.वी. की है, का उल्लेख नहीं है। इसलिए जोन द्वारा सर्वे करवाकर उसकी रिपोर्ट ली जावे तथा विचार विमर्श पश्चात् ड्राफ्ट सेक्टर प्लान को स्वीकृत कर आम जनता से आपत्ति/सुझाव मांगे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्याः–14

विषयः– सेक्टर 60 के अनुमोदन के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। सर्वे में आई.ओ.सी. की गैस पाईप लाईन के मिसिंग लिंक्स हैं जिसे जोन द्वारा मिसिंग लिंक्स सर्वे प्लान में दर्शाया जावे तथा विचार विमर्श पश्चात् ड्राफ्ट सेक्टर प्लान को स्वीकृत कर आम जनता से आपत्ति/सुझाव मांगे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्याः–15

विषयः– सेक्टर 61 के अनुमोदन के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। सर्वे में आई.ओ.सी. को गैस पाईप लाईन के मिसिंग लिंक्स हैं जिसे जोन द्वारा मिसिंग लिंक्स सर्वे प्लान में दर्शाया जावे तथा विचार विमर्श पश्चात् ड्राफ्ट सेक्टर प्लान को स्वीकृत कर आम जनता से आपत्ति/सुझाव मांगे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्याः–16 जोन–6

विषयः–संयुक्त गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना श्रीराम नगर ए के भूखण्ड संख्या 183, 184 की लीजडीड जारी करने के संबंध में।

प्रकरण में समिति द्वारा विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि उपायुक्त जोन–6 मौका निरीक्षण कर यदि इन भूखण्डों पर भवन निर्मित है तो राज्य सरकार के सुविधा क्षेत्र के संदर्भ में पूर्व में जारी आदेशों के अध्याधीन एवं प्रशासनिक बिन्दुओं की जांच जोन स्तर पर की जावे यदि प्रकरण नियमानुकुल पाया जाता है तो पत्रावली पर आयुक्त महोदय की स्वीकृति प्राप्त कर राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे। राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर प्रकरणों का निष्पादन माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18.01.08 एवं 30.05.08 में दिये गये निर्णय के अनुरूप विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये किया जावे।

एजेण्डा संख्याः–17 जोन–6

विषयः–सुभाष सिंधी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना ग्रीन पार्क के भूखण्ड संख्या 134 का नियमन करने के संबंध में।,

पूर्व में योजना अनुमोदन करते समय प्रश्नगत भूखण्ड को सेक्टर रोड में होने के कारण अस्वीकृत किया गया था समिति द्वारा वर्तमान में सेक्टर प्लान व योजना मानचित्र का अवलोकन करने पर सेक्टर सडक भूखण्ड संख्या 132 व 133 के मध्य से गुजर रही है ,अतः विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि भूखण्ड संख्या 134 सेक्टर सडक में नहीं होने के कारण इसका नियमन किया जावे।

एजेण्डा संख्याः–18 जोन–6

विषयः–श्री छत्रपति शिवाजी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना रामनाथपुरी के भूखण्ड संख्या 91, 92 के पुर्नगठन के संबंध में।

प्रकरण में समिति द्वारा विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत दोनों भूखण्डों का पुर्नगठन नियमानुसार जोन स्तर से किया जावे तथा भूखण्ड संख्या 91 के उत्तरी ओर सडक 160' अंकित की जावे तथा पुर्नगठित भूखण्ड का 30' सडक की ओर फन्ट मानते हुये तदअनुरूप पैरामीटर्स, ऊँचाई, एफ.ए.आर योजना अनुसार रखे जावे।

एजेण्डा संख्याः–19 जोन–6

विषयः–म्यूचुअल हाउसिंग कोपरेटिव सोसायटी लिमिटेड की योजना स्कीम 26 रामनगर के भूखण्ड संख्या 17, 18 व 20 को सुविधा क्षेत्र से मुक्त किये जाने के संबंध में।

प्रकरण में समिति द्वारा विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार के सुविधा क्षेत्र के संदर्भ में पूर्व में जारी आदेशों के अध्याधीन एवं प्रशासनिक बिन्दुओं की जांच जोन स्तर पर की जावे यदि प्रकरण नियमानुकुल पाया जाता है तो पत्रावली पर आयुक्त महोदय की स्वीकृति प्राप्त कर राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे। राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर प्रकरणों का निष्पादन माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18.01.08 एवं 30.05.08 में दिये गये निर्णय के अनुरूप विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये किया जावे।

एजेण्डा संख्याः–20 जोन–6

विषयः–विजयवाडी योजना के भूखण्ड संख्या बी–1 से बी–4 के नियमन के संबंध में।

प्रकरण में समिति द्वारा विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि उपायुक्त द्वारा समिति को बताये अनुसार भूखण्ड संख्या बी–1 से बी–4 का नाम हस्तान्तरण जविप्रा द्वारा किया जा चुका है अतः इन्हें योजना में सम्मिलित करने पर आवासीय प्रतिशत 68.86 बनता है अत' इनका नियमन किया जावे।

एजेण्डा संख्याः–21 जोन–6

विषयः–लक्ष्मीनारायणपुरी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना लक्ष्मीनगर के संबंध में।

भूखण्ड संख्या 74 से 78 के पीछे स्वीकृत की गई 30' सडक को 15' रखने हेतु तत्कालीन आयुक्त महोदय द्वारा पत्रावली पर स्वीकृति प्राप्त कर भूखण्डों की लीजडीड ज़ारी की जा चुकी है अतः प्रकरण समिति के समक्ष पुष्टि हेतु रखा गया जिस पर समिति द्वारा पुष्टि की गई।

एजेण्डा संख्याः–22 जोन–6

विषयः–म्यूचुअल हाउसिंग कोपरेटिव सोसायटी लिमिटेड की योजना स्कीम न.–10 के भूखण्ड संख्या 4 को सुविधा क्षेत्र से मुक्त किये जाने के संबंध में।

प्रकरण में समिति द्वारा विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार के सुविधा क्षेत्र के संदर्भ में पूर्व में जारी आदेशों के अध्याधीन एवं प्रशासनिक बिन्दुओं की जांच जोन स्तर पर की जावे यदि प्रकरण नियमानुकुल पाया जाता है तो पत्रावली पर आयुक्त महोदय की स्वीकृति प्राप्त कर राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे। राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर प्रकरणों का निष्पादन माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18.01.08 एवं 30.05.08 में दिये गये निर्णय के अनुरूप विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये किया जावे।

एजेण्डा संख्याः–23 जोन–6

विषयः–नवजीवन गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना संजय नगर–बी के संबंध में।

प्रकरण पर विचार विमर्श कर समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जोन द्वारा प्रस्तावित एजेण्डा में किये गये उल्लेख अनुसार खसरा नं. 272, 273 279 की 1050 वर्ग गज भूमि को खातेदार द्वारा गृह निर्माण सहकारी समिति को बेचान नहीं किया गया है अतः उक्त भूमि को ओनर्स लैण्ड अंकित किया जावे एवं सहकारी समिति के खिलाफ कार्रवाई भी की जावे।

एजेण्डा संख्याः–24 जोन–6

विषयः–शंकर भवन गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना (श्री शिवदुर्गा शिवपुरी विकास समिति द्वारा प्रस्तुत) नानू नगर के अनुमोदन कें संबंध में।

प्रकरण पर विचार विमर्श कर समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि योजना में स्वामित्व का विवाद होने के कारण योजना को गैर अनुमोदित किया जावे।

एजेण्डा संख्याः–25 जोन–6

विषयः–श्री छत्रपति शिवाजी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना बालविहार के भूखण्ड संख्या 26–27 को सुविधा क्षेत्र से मुक्त करने के संबंध में।

प्रकरण में समिति द्वारा विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार के सुविधा क्षेत्र के संदर्भ में पूर्व में जारी आदेशों के अध्याधीन एवं प्रशासनिक बिन्दुओं की जांच जोन स्तर पर की जावे यदि प्रकरण नियमानुकुल पाया जाता है तो पत्रावली पर आयुक्त महोदय की स्वीकृति प्राप्त कर राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे। राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर प्रकरणों का निष्पादन माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18.01.08 एवं 30.05.08 में दिये गये निर्णय के अनुरूप विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये किया जावे।

एजेण्डा संख्याः–26 जोन–6

विषयः–श्री गणपति गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना बालाजी विहार–25 के भूखण्ड सं. ए–69 व ए–70 के पुर्नगठन बाबत्।

प्रकरण में समिति द्वारा विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि पूर्व में योजना अनुमोदन के समय भूखण्ड संख्या ए–70 को निर्धारित सैटबैक पश्चात् निर्माण योग्य क्षेत्रफल नहीं मिलने के कारण अस्वीकृत किया गया था। अतः समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत भूखण्ड का नियमन किया जावे तथा पुर्नगठन नियमानुसार जोन स्तर पर किया जावे।

एजेण्डा संख्याः–27 जोन–6

विषयः–म्युचुअल गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना 10–ए (रघुनाथपुरी) के भूखण्ड संख्या 30 व 31 को सुविधा क्षेत्र से मुक्त करने के संबंध में।

प्रकरण में समिति द्वारा विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार के सुविधा क्षेत्र के संदर्भ में पूर्व में जारी आदेशों के अध्याधीन एवं प्रशासनिक बिन्दुओं की जांच जोन स्तर पर की जावे यदि प्रकरण नियमानुकुल पाया जाता है तो पत्रावली पर आयुक्त होदय की स्वीकृति प्राप्त कर राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे। राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर प्रकरणों का निष्पादन माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18.01.08 एवं 30.05.08 में दिये गये निर्णय के अनुरूप विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये किया जावे।

एजेण्डा संख्याः–28 जोन–6

विषयः–संयुक्त गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना संजय नगर डी के भूखण्ड संख्या 366 का नियमन करने के संबंध मे।

प्रकरण में समिति द्वारा विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार के सुविधा क्षेत्र के संदर्भ में पूर्व में जारी आदेशों के अध्याधीन एवं प्रशासनिक बिन्दुओं की जांच जोन स्तर पर की जावे यदि प्रकरण नियमानुकुल पाया जाता है तो पत्रावली पर आयुक्त महोदय की स्वीकृति प्राप्त कर राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे। राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर प्रकरणों का निष्पादन माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18.01.08 एवं 30.05.08 में दिये गये निर्णय के अनुरूप विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये किया जावे।

एजेण्डा संख्याः–29 जोन–6

विषयः–खुदाबादी सोनार गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना मदीना नगर के भूखड सं. 26 व 27 को सुविधा क्षेत्र से मुक्त करने के संबंध मे।

प्रकरण में समिति द्वारा विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार के सुविधा क्षेत्र के संदर्भ में पूर्व में जारी आदेशों के अध्याधीन एवं प्रशासनिक बिन्दुओं की जांच जोन स्तर पर की जावे यदि प्रकरण नियमानुकुल पाया जाता है तो पत्रावली पर आयुक्त महोदय की स्वीकृति प्राप्त कर राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे। राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर प्रकरणों का निष्पादन माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18.01.08 एवं 30.05.08 में दिये गये निर्णय के अनुरूप विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये किया जावे।

एजेण्डा संख्याः–30 जोन–6

विषयः–लक्ष्मी नगर गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना स्कीम नगर 18 परमानंद नगर का भूखण्ड संख्या 12 रोड में विलोपित होने के कारण नव भूखण्ड सृजित करने के संबंध मे।

प्रकरण में समिति द्वारा विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार के सुविधा क्षेत्र के संदर्भ में पूर्व में जारी आदेशों के अध्याधीन एवं प्रशासनिक बिन्दुओं की जांच जोन स्तर पर की जावे यदि प्रकरण नियमानुकुल पाया जाता है तो पत्रावली पर आयुक्त महोदय की स्वीकृति प्राप्त कर राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे। राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर प्रकरणों का निष्पादन माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18.01.08 एवं 30.05.08 में दिये गये निर्णय के अनुरूप किया जावे।

एजेण्डा संख्याः–31 जोन–6

विषयः–खुदाबादी सोनार गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना कैलाश नगर के भूखड सं. 60, 62 व 71 को सुविधा क्षेत्र से मुक्त करने के संबंध मे।

प्रकरण में समिति द्वारा विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार के सुविधा क्षेत्र के संदर्भ में पूर्व में जारी आदेशों के अध्याधीन एवं प्रशासनिक बिन्दुओं की जांच जोन स्तर पर की जावे यदि प्रकरण नियमानुकुल पाया जाता है तो पत्रावली पर आयुक्त महोदय की स्वीकृति प्राप्त कर राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे। राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर प्रकरणों का निष्पादन माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18.01.08 एवं 30.05.08 में दिये गये निर्णय के अनुरूप विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये किया जावे।

एजेण्डा संख्याः–32 जोन–7

विषयः–भैरव गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना लक्ष्मीनगर के अनुमोदित योजना मानचित्रों में अंकित भूखण्ड संख्या 26 व 27 के स्थान पर भूखण्ड संख्या 23 व 24 अंकित करने के संबंध में।

प्रकरण में समिति द्वारा विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि भूखण्ड संख्या 21 व 22 के पास अंकित भूखण्ड संख्या 26 व 27 के स्थान पर क्रमशः भूखण्ड संख्या 23 व 24 अंकित किया जावे।

एजेण्डा संख्याः–33 जोन–7

विषयः–इन्दिरा नगर गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना नित्यानंद नगर ए के भूखण्ड संख्या 94 के स्थान पर भूखण्ड संख्या 94एन किये जाने के संबंध में।

प्रकरण में समिति द्वारा विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि भूखण्ड संख्या 94 के स्थान पर भूखण्ड संख्या 94–एन अंकित किया जावे।

एजेण्डा संख्याः–34 जोन–7

विषयः–अपोलो गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना नीलकंठ के सुविधा क्षेत्र का विद्युत सबस्टेशन स्थापित हेंतु एन्डयूज परिवर्तन के संबंध में।

प्रकरण में समिति द्वारा विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि सुविधा क्षेत्र के स्थान पर विद्युत सब स्टेशन अंकित किया जावे।

एजेण्डा संख्याः–35 जोन–7

विषयः–संजय नगर कच्ची बस्ती में 40 फीट सेक्टर रोड विलोपित करने के संबंध में।

प्रकरण में समिति द्वारा विचार विमर्श कर 40' सेक्टर रोड को समाप्त कर मौका स्थिति अनुसार सडक रखे जाने का निर्णय लिया गया। नियमानुसार विधिक प्रक्रिया अपनाकर सेक्टर प्लान में संशोधन करवाने की कार्रवाई जोन स्तर से सुनिश्चित की जावे।

एजेण्डा संख्याः–36 जोन–7

विषयः–हनुमान नगर–ए योजना के भूखण्ड संख्या ए–221, ए–222, ए–231 एवं ए–232के पुर्नगठन के संबंध में।

प्रकरण में समिति द्वारा विचार विमर्श कर प्रश्नगत भूखण्डों का आवासीय प्रयोजनार्थ पुर्नगठन किये जाने की अनुशंसा की गई प्रकरण 1500 वर्ग गज से अधिक का होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति भी प्राप्त करने का निर्णय लिया गया। पुर्नगठित भूखण्ड पर पैरामीटर्स राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ–10 (65) यूडीडी/3/04/दिनांक 29.03.07 के तहत देय होगें।

एजेण्डा संख्याः– 37 जोन–7

विषयः–हथरोई गढी गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना अशोक नगर के भूखण्ड संख्या 171 से 189 सूची में नाम अंकित न होने के कारण नियमन एवं पट्टा जारी करने के संबंध में निर्णय हेतु।

प्रकरण में समिति द्वारा विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत प्रकरण में कोई तकनीकी परीक्षण नहीं है जो भूखण्ड अनुमोदित है उनका नियमानुसार प्रशासनिक स्तर पर निर्णय लिया जावे।

एजेण्डा संख्याः–38 जोन–7

विषयः–भैरव गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना जीनमाता नगर सहकारी समिति द्वारा पूर्व में प्रस्तुत योजना प्लान के अनुसार भूखण्ड संख्या संशोधन करने के संबंध मे।

प्रकरण में समिति द्वारा विचार विमर्श कर अनुमोदित मानचित्र में भूखण्ड संख्या 4–ए, 4, 5 व 6 के स्थान पर जोन द्वारा दिये गये प्रस्ताव अनुसार भूखण्ड संख्या 4, 5, व 6 अंकेत किया जावे।

एजेण्डा संख्याः–39 जोन–7

विषयः–मोती भवन गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना हनुमान नगर–सी के भूखण्ड संख्या सी–10 तृतीय को सुविधा क्षेत्र से मुक्त करने के संबंध में।

प्रकरण में समिति द्वारा विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार के सुविधा क्षेत्र के संदर्भ में पूर्व में जारी आदेशों के अध्याधीन एवं प्रशासनिक बिन्दुओं की जांच जोन स्तर पर की जावे यदि प्रकरण नियमानुकुल पाया जाता है तो पत्रावली पर आयुक्त महोदय की स्वीकृति प्राप्त कर राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे। राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर प्रकरणों का निष्पादन माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18.01.08 एवं 30.05.08 में दिये गये निर्णय के अनुरूप विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये किया जावे।

एजेण्डा संख्याः–40 जोन–7

विषयः–इन्द्रा नगर गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना नित्यानंद नगर 'ए' के भूखण्ड संख्या 74 को सुविधाक्षेत्र से मुक्त करने के संबंध में।

प्रकरण में समिति द्वारा विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार के सुविधा क्षेत्र के संदर्भ में पूर्व में जारी आदेशों के अध्याधीन एवं प्रशासनिक बिन्दुओं की जांच जोन स्तर पर की जावे यदि प्रकरण नियमानुकुल पाया जाता है तो पत्रावली पर आयुक्त महोदय की स्वीकृति प्राप्त कर राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे। राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर प्रकरणों का निष्पादन माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18.01.08 एवं 30.05.08 में दिये गये निर्णय के अनुरूप विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये किया जावे।

एजेण्डा संख्याः–41 जोन–7

विषयः–नवजीवन गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना विद्युत नगर–ए भूखण्ड संख्या 2, 3 व 33 के सामने 30' की तरफ अग्र सैटबैक 20 के स्थान पर 10 फीट किये जाने के संबंध में।

प्रकरण में समिति द्वारा विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि योजना विद्युत नगर–ए भूखण्ड संख्या 2, 3 व 33 के सामने 30' की तरफ अग्र सैटबैक 20 के स्थान पर 10 फीट किये जावे।

एजेण्डा संख्याः–42 जोन–7

विषयः–सिरसी रोड 200' के साथ 50' प्लांटेशन कोरीडोर के प्रभावित भूखण्डों को नोट अप्रूव्ड से मुक्त करने के संबंध में।

प्रकरण में समिति द्वारा विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि अथोरिटी की 55वीं बैठक दिनांक 03.11.07 में सिरसी रोड के दोनों ओर स्थित प्लांटेशन कोरीडोर को विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये विलोपित किया जावे। अतः उक्त निर्णय के क्रम में जोन में पूर्व मे अनुमोदित निम्न योजनाओं में प्लांटेशन कोरीडोर से प्रभावित भूखण्डों का नियमन किया जावे।

1. लक्ष्मी गृह नि.स.स. की योजना कनक विहार
2. भैरव गृह नि.स.स. की योजना रोशन नगर ए–बी
3. भैरव गृह नि.स.स. की योजना ढाका नगर
4. भैरव गृह नि.स.स. की योजना आदिनाथ नगर

एजेण्डा संख्याः–43 जोन–7

विषयः–संयुक्त गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना कोस्मों कोलोनी के भूखण्ड संख्या 64 को पार्क की भूमि से मुक्त करने के संबंध मे।

प्रकरण में समिति द्वारा विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार के सुविधा क्षेत्र के संदर्भ में पूर्व में जारी आदेशों के अध्याधीन एवं प्रशासनिक बिन्दुओं की जांच जोन स्तर पर की जावे यदि प्रकरण नियमानुकुल पाया जाता है तो पत्रावली पर आयुक्त महोदय की स्वीकृति प्राप्त कर राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे। राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर प्रकरणों का निष्पादन माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18.01.08 एवं 30.05.08 में दिये गये निर्णय के अनुरूप विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये किया जावे।

एजेण्डा संख्याः–44 जोन–7

विषयः–करघनी गोविन्दपुरा आवासीय योजना ई ब्लॉक के सुविधा क्षेत्र का एण्डयूज पार्क किये जाने के संबंध में।

प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श यह निर्णय लिया गया कि प्रकरण को निरस्त किया जावे।

एजेण्डा संख्याः–45 जोन–7

विषयः– पथिक भवन गृह निर्माण सहकारी समिति की जविप्रा गिरनार कोलोनी स्कीम नं. 16 ए के भूखण्ड संख्या 162–बी के सुविधा क्षेत्र से मुक्त करने के संबंध में।

प्रकरण में समिति द्वारा विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार के सुविधा क्षेत्र के संदर्भ में पूर्व में जारी आदेशों के अध्याधीन एवं प्रशासनिक बिन्दुओं की जांच जोन स्तर पर की जावे यदि प्रकरण नियमानुकुल पाया जाता है तो पत्रावली पर आयुक्त महोदय की स्वीकृति प्राप्त कर राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे। राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर प्रकरणों का निष्पादन माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18.01.08 एवं 30.05.08 में दिये गये निर्णय के अनुरूप विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये किया जावे।

एजेण्डा संख्याः–46 जोन–7

विषयः–संयुक्त गृही निर्माण सहकारी समिति की योजना आफिसर्स कैम्पस में 17 दुकानों को निरस्त करने के सबंध में।

प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श यह निर्णय लिया गया कि प्रकरण को आगामी बैठक पुनः रखा जावे।

एजेण्डा संख्याः–47 जोन–7

विषयः–मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना अशोक विहार के अनुमोदन के संबंध में।

प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श यह निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार द्वारा जारी स्वीकृति के अनुसार 1786.86 वर्ग गज आवासीय 467.01 वर्ग गज सेक्टर रोड तथा 131.49 वर्ग गज को सुविधा क्षेत्र हेतु रखा जावे तथा 0.4 वर्ग गज जो अधिक क्षेत्रफल अंकित है उसे सुविधा क्षेत्र में से कम किया जावे।

एजेण्डा संख्याः–48

विषयः–सेक्टर 62 के अनुमोदन के संबध में जनता से आपत्ति/सुझाव मांगे के संबंध मे।

प्रकरण समिति के समक्ष विचाराथ प्रस्तुत किया गया। सर्वे में आई.ओ.सी. गैस पाईप लाईन के मिसिंग लिंक्स है जिसे जोन द्वारा मिसिंग सर्वे प्लान में दर्शाया जावे तथा विचार विमर्श पश्चात् ड्राफट सेक्टर प्लान को स्वीकृत कर आम जनता से आपत्ति/सुझाव मांगे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्याः–49

विषयः–सेक्टर 63 के अनुमोदन के संबध में जनता से आपत्ति/सुझाव मांगे के संबंध मे।

प्रकरण समिति के समक्ष विचाराथ प्रस्तुत किया गया। सर्वे में आई.ओ.सी. गैस पाईप लाईन के मिसिंग लिंक्स है जिसे जोन द्वारा मिसिंग सर्वे प्लान में दर्शाया जावे तथा विचार विमर्श पश्चात् ड्राफट सेक्टर प्लान को स्वीकृत कर आम जनता से आपत्ति/सुझाव मांगे जाने का निर्णय लिया गया।

माननीय विधायक श्रीमोहन लाल गुप्ता के विशेष आग्रह पर प्रस्तुत अतिरिक्त एजेण्डाः–

अतिरिक्त एजेण्डा–1

विषयः–जयपुर बाल्मिकी गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना सीताबाडी, टोंक रोड, के भूखण्ड संख्या 53, 54, 57, 58 को सुविधा क्षेत्र से मुक्त कराने बाबत्।

क्र. स.	भू. सं.	भूखण्डधारी का नाम	सोसायटी का नाम
1	53	इन्द्र कुमार जैन	जयपुर बाल्मिकी गृ.नि.स.स. लि. की योजना सीताबाडी
2	54	टशोक कुमार जैन	जयपुर बाल्मिकी गृ.नि.स.स. लि. की योजना सीताबाडी
3	57	श्रीमति प्रभा जैन	जयपुर बाल्मिकी गृ.नि.स.स. लि. की योजना सीताबाडी
4	58	श्रीमती अनिता जैन	जयपुर बाल्मिकी गृ.नि.स.स. लि. की योजना सीताबाडी

समिति द्वारा सुविधा क्षेत्र के प्रकरणों पर विस्तृत विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार के सुविधा क्षेत्र के संदर्भ में पूर्व में जारी आदेशों अध्याधीन एवं प्रशासनिक बिन्दुओं की जांच जोन स्तर पर की जावे यदि प्रकरण नियमानुकूल पाया जाता है तो पत्रावली पर आयुक्त महोदय की स्वीकृति प्राप्त कर राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे। राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर प्रकरणों का निष्पादन माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18.01.2008 एवं 30.05.2008 में दिये गये निर्णय के अनुरूप विधिक प्रकिया अपनाते हुए किया जावे।

अतिरिक्त एजेण्डा–2

विषयः– लक्ष्मी नगर गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना लक्ष्मी नगर टोंक रोड के भूखण्ड संख्या 116 को सुविधा क्षेत्र से मुक्ति बाबत्।

समिति द्वारा सुविधा क्षेत्र के प्रकरणों पर विस्तृत विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार के सुविधा क्षेत्र के संदर्भ में पूर्व में जारी आदेशों अध्याधीन एवं प्रशासनिक बिन्दुओं की जांच जोन स्तर पर की जावे यदि प्रकरण नियमानुकूल पाया जाता है तो पत्रावली पर आयुक्त महोदय की स्वीकृति प्राप्त कर राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे। राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर प्रकरणों का निष्पादन माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18.01.2008 एवं 30.05.2008 में दिये गये निर्णय के अनुरूप विधिक प्रकिया अपनाते हुए किया जावे।

अतिरिक्त एजेण्डा–3

विषयः– सेक्टर 57 के अनुमोदन के संबंध में।

प्रकरण को समिति के सक्षम विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। डिग्गीमालपुरा सडक की चौडाई कम किये जाने के संबंध में राज्य सरकार को इस सडक की चौडाई 160'–0" किए जाने के संबंध में प्राप्त राज्य सरकार के पत्र के संदर्भ में इस सडक के कारण प्रभावित डिग्गीमालपुरा रोड के आसपास के निवासियों को भी बैठक में बुलाया गया। उन्होंने डिग्गीमालपुरा सडक की चौडाई 160'–0" किए जाने हेतु समिति को अवगत कराया। समिति के सदस्यों ने विचार–विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण की बैठक में लिए गये निर्णयानुसार इस सडक का सर्वे करवाया जाना था किन्तु अभी तक इस सडक के आस–पास का सर्वे प्राप्त नहीं हुआ है इसलिए समिति ने निर्णय लिया कि डिग्गीमालपुरा सडके के दोनों ओर का सर्वे सेक्टर 39, 40, 41, 42, की सीमा के बाद पहाडिया रोड तक का सर्वे करवाया जावे तत्पश्चात् सेक्टर प्लान के अनुमोदन के समय डिग्गीमालपुरा सडक की तथा पहाडिया सडक की चौडाई के संबंध में निर्णय लिया जावे।

अतिरिक्त एजेण्डा–4

विषयः– भूखण्ड संख्या 108 व 110 सूरज नगर (पूर्व) के भूखण्डधारियों द्वारा सैटबैक्स परिवर्तन के प्रार्थना पत्र पर भवन मानचित्र समिति के निर्णय का जविप्रा अपीलीय अधिकरण द्वारा अपास्त करते हुए मानचित्र में संशोधन नहीं करने बाबत्।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। पूर्व की बैठक के निर्णयानुसार समिति के समक्ष दोनों पक्ष उपस्थित हुए विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि दोनों पक्षों की सुनवाई माननीय सदस्य श्री मोहन लाल गुप्ता जी के करने के पश्चात् दोनों की समझाइश के अनुसार निर्णय लिया जाना है।

अतिरिक्त एजेण्डा–5

विषयः– टैगोर नगर गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना जादोन नगर के योजना अनुमोदन कर नियमन कैम्प लगवाये जाने के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। योजना पूर्व अनुमोदित की हुई है किन्तु भूमि के स्वामित्व के विवाद के कारण कैम्प नहीं लगाया गया था कैम्प लगाये जाने के संबंध में विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया। विचार विमर्श पश्चात् निम्न शर्तो की पूर्ति के पश्चात कैम्प लगवाये जाने का निर्णय लिया गयाः–

1. जिन भूखण्डधारियों के पास सहकारी समिति का आवंटन पत्र है तथा मौके पर कब्जा है एवं भूखण्डधारियों का लोकायुक्त को प्रेषित सूची में नाम है तो ऐसे भूखण्डधारियों के भूखण्ड का नियमन पर विचार किया जायेगा। उपायुक्त जोन इस हेतु सर्वे करवायेगा।
2. रीको की अवाप्त भूमि होने के कारण भूमि के स्वामित्व को निपटाने के लिए रीको के अधिकारियों के समक्ष विचार विमर्श कर भूमि के स्वामित्व का निपटारा करेंगे।
3. सहकारिता शाखा से भूखण्डधारियों के स्वामित्व के संबंध में जांच करवा ली जावें।
4. योजना की भूमि का औद्योगिक से आवासीय में भू–उपयोग उपान्तरण की कार्यवाही पूर्ण की जावे।
5. न्यायालय से संबंधित प्रकरणों का निस्तारण होने के पश्चात् प्रशासनिक कार्यवाही की जावे।

अतिरिक्त एजेण्डा–6

विषयः– हथरोई गढी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना एयर पोर्ट विस्तार भूमि के अस्वीकृत भूखण्डों की स्वीकृति बाबत्।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि उपायुक्त जोन यह सुनिश्चित कर ले कि यह भूमि एयरपोर्ट विस्तार के अवाप्ति में नहीं है तो याजना में जो पूर्व में भूखण्ड अस्वीकृत किए थे उनको प्रशासनिक स्तर पर निर्णय लेकर स्वीकृत किए जाए।

अतिरिक्त एजेण्डा–7

विषयः– हरिनारायण मीणा पुत्र स्व. श्री भागीरथ मीणा पुराना भूखण्ड संख्या 9 नया भूखण्ड संख्या 10 स्कीम नम्बर 13 पथिक गृह निर्माण सहकारी समिति के सहकारी समिति द्वारा आवंटित क्षेत्र के अनुसार नियमन करने के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया। इस भूखण्ड के संबंध में बीपीसी(बीपी) की बैठक क्रमांक 116 वीं दिनांक 23.04.2008 में निर्णय लिया गया था कि स्वीकृत योजना मानचित्र में दर्शाये क्षेत्र व मौके की स्थिति के अनुसार उपलब्ध क्षेत्रफल के अनुसार 130.49 वर्ग गज अधिक है। मौके पर भूमि के क्षेत्रफल में 100.00 वर्ग गज से अधिक की वृद्धि होने के कारण प्रकरण को राज्य सरकार में भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया था।

इस निर्णय के संबंध में प्रार्थी ने प्रतिवेदन दिया और उसमें उल्लेख किया कि सहकारी समिति ने पूर्व का भूखण्ड संख्या 9 का क्षेत्रफल 253.12 वर्ग गज का आंवटित किया है तथा उसी के अनुसार मौके पर उसका कब्जा है इसलिए सरकारी भूमि पर मेरा कब्जा नहीं है इसलिए अधिक क्षेत्र की नियमानुसार नियमन राशि ली जावे।

विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि सचिव जविप्रा जांच करे कि प्रार्थी का सरकारी भूमि पर तो कब्जा नहीं है यदि इसमें सरकारी भूमि नहीं तो नियमानुसार नियमन राशि ली जाकर भूखण्ड का मौके की स्थिति के अनुसार नियमन किया जावें।

अतिरिक्त एजेण्डा–8

विषयः– खुदाबाडी सोनार गृ.नि. सहकारी समिति की योजना विवेक विहार में दुकानों के आवासीय भूखण्डों के रूप में नियमन के सम्बन्ध में।

स्वीकृत योजना मानचित्र में सुविधा क्षेत्र में सहकारी समिति द्वारा दुकानें दर्शायी गई थी। इन दुकानों को अस्वीकृत किया गया था। मौके पर अस्वीकृत दुकानों में भूखण्ड आवंटियों ने आवासीय उपयोग किया हुआ है। माननीय विधानसभा सदस्य श्री नवरतन राजोरिया जी ने समिति को बताया कि सुविधा क्षेत्र से मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार के आदेश कमांकः प.3 जविवि/3/2007 दिनांक 24.12.2007 के कम में जॉच कर इन भूखण्डों का नियमन किया जावे।

विचार विमर्श पश्चात समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार के सुविधा क्षेत्र से मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में जारी आदेशों के अनुसार जोन द्वारा जाँच कर राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु भिजवाई जावे। राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर प्रकरणों का निष्पादन माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18.01.2008 एवं 30.05.2008 में दिये गये निर्णय के अनुरूप विधिक प्रकिया अपनाते हुए किया जावे।

अतिरिक्त एजेण्डा नं. 9 जोन–11

श्री सालासर ओवरसीज प्रा.लि. के निदेशक श्री ज्ञानचन्द अग्रवाल द्वारा आवासीय योजना नारायण विहार "वाई ब्लॉक" के चार खण्डों में मानचित्र प्रस्तुत किये गये है। उक्त मानचित्र ग्राम चकहरबंशपुरा, जयसिंहपुराबासभांकरोटा व भांकरोटा की भूमि से सम्बन्धित है। ग्रामवार खसरा नम्बर तथा रकबा संलग्न है। उक्त मानचित्र में कुल रकबा 67.22 हैक्ट. (265.80 बीघा) सम्मिलित है जिसमें से 47.31 हैक्ट. (187.07 बीघा) भूमि की 90बी की कार्यवाही हो चुकी है तथा शेष 19.91 हैक्ट. (78.73 बीघा) भूमि की 90बी की कार्यवाही नहीं हुई है।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ। विचार विमर्श के दौरान निजी विकासकर्ता भी उपस्थित हुए। विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मती से योजना को निम्न शर्तों के साथ स्वीकृत करने का निर्णय लिया गयाः–

1. प्रस्तुत योजना मानचित्र में 5,65,886.75 वर्गगज (अर्थात् 187.07 बीघा) भूमि की 90बी की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है परन्तु सैक्टर रोडों व कामर्शियल पट्टी में आने वाली 28867.97 वर्गगज (अर्थात 9.55 बीघा) भूमि को छोडकर योजना का क्षेत्रफल 5,37,018.78 वर्गगज (अर्थात् 177.52 बीघा) होता है। इस 5,37,018.78 वर्गगज भूमि की योजना में आवासीय क्षेत्रफल 63.92 प्रतिशत होता है जोकि निर्धारित 60 प्रतिशत से अधिक हैं। अतः 60 प्रतिशत से अधिक क्षेत्रफल में आने वाले 95 भूखण्डों को नीले रंग से शेडेड

किया गया है, जिनको निजी विकासकर्ता द्वारा फेज 26 में होना बताया है। निम्न भूखण्डों का अनुमोदन नही किये जाने का निर्णय लिया गया:-

S.No.	Plot No.	Total Plot	Area
1.	75 to 81	7	1166.62
2.	114 to 133	19	2864.61
3.	150 to 168	19	3275.44
4.	169 to 176	7	3820.00
5.	177, 178	2	603.91
6.	179, 180, 180A, 180B	4	1726.57
7.	327 to 339, 353	14	2968.33
8.	354 to 370	17	3889.15
9.	371 to 376	6	1254.97
	Total	95	21569.60

2. प्रस्तुत योजना में 440 के.वी. की हाइटेंशन लाईन गुजर रही है। नियमानुसार इसके नीचे 52 मीटर नॉन कन्स्ट्रक्शन एरिया छोडने के बाद दोनों ओर सडकें प्रस्तावित की जानी चाहिये, परन्तु निजी विकासकर्ता द्वारा 52 मीटर नॉन कन्स्ट्रक्शन एरिया में ही 12-12 मीटर चौडाई की सडकें दोनो ओर प्रस्तावित की गई है तथा इन प्रस्तावित सडकों पर ही भूखण्डो को सड़क सम्पर्क दिया गया है। इस कारण नॉन कन्स्ट्रक्शन जोन की चौडाई 52 मीटर के स्थान पर 28 मीटर रह जाती है।

निजी विकासकर्ता ने इस सम्बन्ध में समिति के समक्ष सूचना के अधिकार के तहत श्री राजीव कुडीवाल को मुख्य अभियन्ता (ई.आई.) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत निरीक्षण विभाग नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त पत्र आर.टी.आई./सी ई/70/2007-290 दिनांक 22.10.2007 की छायाप्रति प्रस्तुत की है। इस सम्बन्ध में समिति ने विचार विमर्श कर तय किया कि जोनल अभियन्ता (विद्युत) उक्त परिप्रेक्ष्य में विस्तृत परीक्षण कर रिपोर्ट दे कि नॉन कन्स्ट्रक्शन एरिया में सडक बनाई जा सकती है अथवा नही ? उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रभावित भूखंडों के अनुमोदन के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय समिति द्वारा किया जायेगा। तब तक नॉन कन्स्ट्रक्शन एरिया 52 मीटर की चौडाई का ही माना जावेगा तथा प्रभावित भूखंण्डों का अनुमोदन स्थगित रहेगा।

एस.टी.पी. (बी.पी.सी.) द्वारा समिति को जानकारी दी गई कि जविप्रा के सैक्टर प्लान सैक्टर संख्या 51, 52, 53 में सडक नेटवर्क जिस रूप में स्वीकृत है, उससे हटकर मौके पर निर्मित सडकों को सैक्टर सडकों के रूप में रखे जाने हेतु मानचित्र में प्रस्तावित किया गया है। इस बिन्दु पर समिति ने विचार विमर्श किया तथा यह निर्णय लिया कि चूंकि अधिकांश सडकें पूर्व निर्मित है, तथा अनेकों वर्षों से आवागमन के लिये काम आ रही हैं। अतः आयोजना शाखा द्वारा प्रस्तुत सुझावों के अनुरूप उक्त प्रस्तावों के अनुसार सेक्टर रोड नेटवर्क को संशोधित कर दिया जावें।

अतिरिक्त एजेण्डा नं.10 जोन-6

विषयः-संयुक्त गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना ऑफिसर्स कैम्पस के भूखण्ड संख्या 280 व 281 को सुविधा क्षेत्र से मुक्त करने के संबंध में।

प्रकरण में समिति द्वारा विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार के सुविधा क्षेत्र के संदर्भ में पूर्व में जारी आदेशों के अध्याधीन एवं प्रशासनिक बिन्दुओं की जांच जोन स्तर पर की जावे यदि प्रकरण नियमानुकुल पाया जाता है तो पत्रावली पर आयुक्त महोदय की स्वीकृति प्राप्त कर राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे। राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर प्रकरणों का निष्पादन माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18.01.08 एवं 30.05.08 में दिये गये निर्णय एवं 30.05.08 में दिये गये निर्णय के अनुरूप विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये किया जावे।

अतिरिक्त एजेण्डा नं.11 जोन-2

विषयः-संयुक्त गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना जगदम्बा कोलोनी स्कीम नं. 6 के भूखण्ड संख्या 64, 65 का सुविधा क्षेत्र से मुक्त करने के संबंध में।

प्रकरण में समिति द्वारा विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार के सुविधा क्षेत्र के संदर्भ में पूर्व में जारी आदेशों के अध्याधीन एवं प्रशासनिक बिन्दुओं की जांच जोन स्तर पर की जावे यदि प्रकरण नियमानुकुल पाया जाता है तो पत्रावली पर आयुक्त महोदय की स्वीकृति प्राप्त कर राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे। राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर प्रकरणों का निष्पादन माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18.01.08 एवं 30.05.08में दिये गये निर्णय एवं 30.05.08 में दिये गये निर्णय के अनुरूप विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये किया जावे।

अतिरिक्त एजेण्डा नं. 12 जोन–10

विषयः–मास्टर प्लान 2011 मे अंकित मालवीय नगर–जगतपुरा रोड की चौडाई 200' से 160' किये जाने के संबंध में।

प्रकरण पर विचार विमर्श कर समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि 200' चौडी सडक को 160' फिट किया जावे।

नोटः–

माननीय विधायक महोदय द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में जारी यू.ओ.नोट क्रमांक जविप्रा/वननि/प्रोजेक्ट/2008/डी 405 दिनांक 23/7/08 में वार्णित प्रकरणों का उपायुक्त जोन द्वारा सीधे ही समिति के समक्ष किये गये विचार /निर्णय अभी तक प्राप्त नहीं हुए है।

21/8/08

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति
(ले–आउट प्लान) जविप्रा,जयपुर।

क्रमांक :– जविप्रा/सदस्य सचिव बीपीसी (एलपी) /प्रोजेक्ट/2007/डी– 422

दिनांक :– 21/8/08

प्रतिलिपि :–

1. अध्यक्ष, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. माननीय विधायक श्री मोहन लाल गुप्ता।,
3. माननीय विधायक श्री नवरतन राजोरिया।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।,
6. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
7. निदेशक (आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
8. अति0 आयुक्त (पूर्व)/(पश्चिम)/(एलपीसी)/(भूमि), जयपुर।
9. वरिष्ठ नगर नियोजक(प्रोजेक्ट/बीपीसी),जविप्रा, जयपुर।
10. उपायुक्त जोन.....जविप्रा, जयपुर।
11. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।

21/8/08

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति
(ले–आउट प्लान)
जविप्रा जयपुर।